निगरानी 2464-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. मु. जशोदा बाई पुत्री तिजन अहिरवार
2. छिदामी, घमण्डी तनय हरप्रसाद कुम्हार
3. शिविन्द्र कुमार तनय रघुवीर सहाय
4. उमेश तनय राजाराम गुप्ता
5. सुशील तनय बिहारीलाल गुप्ता
6. कन्हैयालाल तनय मथुरा प्रसाद यादव
7. सरमन तनय जुग्गा बसोर
8. देवेद्र तनय बालचंद्र पटैरिया

समस्त निवासीगण पलेरा जि. टीकमगढ़ म.प्र. .....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. लक्ष्मी तनय भगवानदास लुहार
2. मनमोहन तनय भगवानदास लुहार
3. हरगोविन्द्र तनय भगवानदास लुहर

तीनों निवासी – ग्राम पलेरा तह. पलेरा
वार्ड नंबर 13, जिला टीकमगढ़ म.प्र. .....अनावेदकगण

डी. के. पारी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर मो.: 9753356589

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 518/बी/121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31–07–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अनावेदक क्र. 1, 2, व 3 द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा विधि–सम्मत पारित आदेश दिनांक 25–5–15 के विरूद्ध द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें वे पक्षकार न होते हुए भी एवं न ही पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए एकपक्षीय श्रवण की जाकर ग्रहण की गई और आगामी तिथि तक स्थगन आदेश जारी किया गया जिसमें आवेदक की उपस्थिति उपरांत प्रारंभिक आपत्ति लेते हुए स्थगन आदेश निरस्त का अनुरोध किए जाने पर भी स्थगन आदेश अनाधिकृत रूप से जारी किए जाने से परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R: 2664-I/15 ..... जिला छिंदवाड़ा .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-8-15	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उन्हें ग्राह्ता एवं स्थगन पर सुना गया यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र.क्र. 518/बी—121/2014—15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31—7—15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में केवल आवेदकगणों के विरूद्ध स्थगन प्रदान किया है। और अपील निराकरण हेतु अपर आयुक्त के समक्ष लंबित हैं ऐंसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया प्रकरण में नहीं है। जहॉ तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न प्रस्तुत दस्तावेजों के विचार उपरांत आवेदकगणों की ओर से इस आशय का शपथपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि वे अनावेदकगणों के कब्जे वाली भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या उसे खुर्द—बुर्द नहीं करेंगे। इस कारण प्रकरण में जारी स्थगन आदेश निरस्त करते हुए यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रकरण का निराकरण किए जाने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर विचार किया जावे। और प्रकरण का निराकरण 3 माह के अंदर अनिवार्य रूप से करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.